

16-11-17

# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा

कि० मि० केश नं०- 275/17

थाना - 50/17

प्रथम पक्ष ..... बनाम ..... द्वितीय पक्ष

सा० - 15/17

धारा- 107 द० प्र० सं०

Allowed

24.10.17

थाना प्रभारी, 50/17 के  
 अप्राथमिकी सं० 50/17 धारा-107 द० प्र० सं० के  
 प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि  
 .....  
 संबंधी विवाद को लेकर तनाव व्याप्त है एवं शांति भंग होने की संभावना  
 बनी हुई है।

16-11-17

OP+5  
107

अतः थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर .....  
 पक्ष के सभी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की प्रक्रिया  
 प्रारंभ किया जाता है। तदनुसार नोटिस निर्गत करें, कि दिनांक 15.11.17  
 को ..... पक्ष मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर  
 कारण-पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं एक साल तक शांति कायम  
 रखने के लिए प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये का बंध पत्र दाखिल  
 करने का आदेश दिया जाय।

15/17  
16-11-17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
 महागामा।

16-11-17

प्रथम पक्ष के एक सदस्य की हाजिरी वकालतनामा के साथ पढ़ी है।

द्वितीय पक्ष के पांच सदस्यों की हाजिरी  
 वकालतनामा के साथ पढ़ी है। साथ ही  
 उभय पक्षों के तरफ से कुलदण्ड आवेदन  
 दाखिल

सुनहना के अधिकाधिक  
 कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया  
 की जाये। 16.11.17